कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा/पीएसपी–सी/शिकायत/निजी विद्यालय/2019–20 दिनांकः 25.05.2019

:: आवश्यक–सूचना ::

शासकीय आदेश क्रमांकः प.7 (14) प्राशि/आयो/2018,जयपुर, दिनांकः 18.02.2019 द्वारा प्री डी.एल.एड.परीक्षा–2019 हेतु प्रारम्भिक शिक्षा विभाग को नोडल एजेन्सी नियुक्त किया गया है। सन्दर्भित शासकीय आदेश के क्रम में पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान, बीकानेर को उक्त परीक्षा आयोजन हेतु समन्वयक नियुक्त किया गया है। दिनांक 26 मई 2019 को दोपहर 2:00 बजे से 5:00 बजे के मध्य उक्त परीक्षा सम्पूर्ण राज्य में 2212 परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जा रही है, जिसमें कुल 7,51,127 परीक्षार्थी भाग लेने जा रहे हैं। सम्पूर्ण राज्य के समस्त जिलों में आवश्यकतानुसार निर्धारित किये गये परीक्षा केन्द्रों में अनेक गैर सरकारी शिक्षण संस्थाएं भी सम्मिलित है। उक्त परीक्षा संबंधी कार्य के समुचित एवं सुचारू सम्पादन हेतु नियुक्त नोडल प्रभारियों द्वारा अनेक स्थानों पर गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं के प्रबन्धन द्वारा परीक्षा आयोजन यथा फर्नीचर उपलब्धता, पेयजल की व्यवस्था, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टिविटी इत्यादि में असहयोग संबंधी शिकायतें प्राप्त हो रही है, जो कि साढे सात लाख से भी अधिक संख्या में प्रविष्ट होने जा रहे परीक्षार्थियों हेतु अत्यन्त महत्वपूर्ण परीक्षा को देखते हुए उनके शैक्षणिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कार्य है। इस संबंध में समस्त संबंधित पक्षों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है कि ''राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम–1989 एवं तत्संबंधी नियम–1993'' के प्रावधानान्तर्गत गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाएं राज्य सरकार के निर्देशों–नियमों की समुचित पालना हेतु वचनबद्ध हैं तथा राज्य सरकार द्वारा विद्यार्थी हित में दिये गए समस्त निर्देश उक्त संस्थाओं हेतु पूर्णतः बाध्यकारी है।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में प्री डी.एल.एड.परीक्षा–2019 हेतु विभाग द्वारा नियुक्त समस्त जिला नोडल अधिकारियों को व्यादिष्ट किया जाता है कि वे अपने जिला क्षेत्राधिकार में उक्त परीक्षा हेतु स्थापित परीक्षा केन्द्रों पर नियुक्त केन्द्राधीक्षकों से उक्त बाबत् रिपोर्ट प्राप्त कर समस्त केन्द्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुचारू रूप से करवाई जानी सुनिश्चित करावें। उपर्युक्त वर्णित स्थिति के अनुसार किसी भी गैर सरकारी संस्था द्वारा असहयोग किये जाने अथवा बाधा उत्पन्न किये जाने के तथ्य सामने आने पर उक्त बाबत् तथ्यात्मक रिपोर्ट तत्काल राज्य नोडल अधिकारी, पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं, राजस्थान, बीकानेर को जरिये ई–मेल : panjiyakpredeled2019@gmail.com पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

प्री डी.एल.एड.परीक्षा–2019 हेतु स्थापित परीक्षा केन्द्रों से संबंधित निजी शिक्षण संस्थाओं के प्रबन्धन को निर्देशानुसार व्यादिष्ट किया जाता है कि उल्लेखित परीक्षा संबंधी कार्य में असहयोग अथवा बाधा/अव्यवस्था उत्पन्न किये जाने की स्थिति में नियमों के अधीन नियन्त्रक निकाय/विभाग तथा राज्य सरकार को संबंधित संस्था के विरूद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही हेतु विभागीय अभिशंषा की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित संस्था प्रबन्धन का होगा।

(मुकेश कुमार शर्मा)
उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर।

प्रतिलिपिः–निम्नांकित को सूचनार्थ/पालनार्थ एवं यथावश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. आयुक्त, महाविद्यालय शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. कुल सचिव, राजस्थान तकनीकी वि.वि., कोटा/बीकानेर तकनीकी वि.वि., बीकानेर।
3. शासन उप सचिव, स्कूल शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएं, राजस्थान, बीकानेर।
5. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला नोडल अधिकारी, प्री डी.एल.एड.परीक्षा–2019।
6. समस्त प्रबन्धक/सचिव, प्री डी.एल.एड.परीक्षा–2019 से संबंधित निजी संस्था परीक्षा केन्द्र।
7. सिस्टम एनालिस्ट कार्यालय हाजा को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु।
8. सम्पादक, दैनिक समाचार पत्र..................को विद्यार्थी हित में प्रकाशनार्थ।

उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर।

Scanned by CamScanner